स्मरण–पत्र

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांक: प.27(7)न्याय/2014 जयपुर, दिनांक 30.1.18

:: परिपत्र ::

विषयः–राजस्थान विधि सेवा एवं राजस्थान विधि रचना सेवा के अधिकारियों द्वारा अपना अचल सम्पति विवरण को स्वयं के SSO-ID से लॉग इन कर राज–काज सॉफ्टवेयर में IPR MODULE द्वारा ऑन–लाईन स्वंय द्वारा भरने के संबंध में।

राजस्थान विधि सेवा एवं राजस्थान विधि रचना सेवा के अधिकारियों द्वारा प्रति वर्ष 01, जनवरी की स्थिति में अपना अचल सम्पति विवरण दिनांक 31 जनवरी तक भरे जाने का प्रावधान है। अचल सम्पति विवरण वेबसाईट पर दिनांक 31.01.2018 तक अनिवार्य रूप से अपलोड करने के लिए इस विभाग के समसंख्यक परिपत्र दिनांक 03.01.2018 एवं 17.01.2018 से निर्देशित किया गया था परन्तु अभी तक राजस्थान विधि सेवा एवं राजस्थान विधि रचना सेवा के अधिकारियों द्वारा अचल सम्पति विवरण वेबसाईट पर अधिकतर ने अपलोड नहीं किया है।

अतः राजस्थान विधि सेवा एवं राजस्थान विधि रचना सेवा के अधिकारियों को पुनः निर्देशित किया जाता है कि इस विभाग के समसंख्यक परिपत्र दिनांक 03.01.2018 एवं 17.01.2018 की पालना में अपना अचल सम्पति विवरण को स्वयं के SSO-ID से लॉग इन कर राज–काज सॉफ्टवेयर में IPR MODULE द्वारा ऑन–लाईन स्वंय द्वारा दिनांक 31.01.2018 तक अनिवार्य रूप से अपलोड करें अन्यथा आपकी पदोन्नति एवं वेतन वृद्धि पर विचार नहीं किया जाएगा।

30.01.18

(डॉ. कैलाश चन्द्र अटवासिया)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. विधि सेवा संवर्ग/विधि रचना सेवा संवर्ग के समस्त अधिकारीगण।
2. प्रोग्रामर, विधि विभाग को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
3. रक्षित पत्रावली।

30.01.18

संयुक्त शासन सचिव

D:\VINOD 2015\VINOD BAIRWA\ORDER 2018.docx